

न्यायालय अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, आमला, जिला बैतूल
(पीठासीन अधिकारी – श्रीमती मीना शाह)

व्य.वाद. क्रमांक:- 59ए/16
 संस्थापन दिनांक:-20/12/14
 फाईलिंग नं. 233504000372014

झनौती पिता बिरज पत्नी सुढ़े,
 उम्र 60 वर्ष, हाल मु. रोंढा ढेकनी माल,
 पो. बरेली पार तहसील जुन्नारदेव,
 जिला छिन्दवाड़ा(म.प्र.)

..... वादी

वि रू द्ध

1. लखन पिता भंगीलाल उम्र 40 वर्ष
2. गोबीलाल पिता भंगीलाल, उम्र 35 वर्ष
3. गुनाराम पिता भंगीलाल, उम्र 30 वर्ष
तीनों निवासी रोंढा ढेकनी माल,
पो. बरेली पार तहसील जुन्नारदेव,
जिला छिन्दवाड़ा(म.प्र.)
4. गुनोबाई पिता भंगीलाल, उम्र 40 वर्ष
निवासी टीकाबरी, पो. बोरदेही,
तहसील आमला जिला बैतूल (म.प्र.)
5. ढिमरे पिता सवई, उम्र 60 वर्ष
निवासी घाटावाड़ी कला, पो. बोरदेही,
तहसील आमला जिला बैतूल (म.प्र.)
6. मितो पति शिकारीलाल, उम्र 40 वर्ष
निवासी रोंढा ढेकनी माल,
पो. बरेली पार तहसील जुन्नारदेव,
जिला छिन्दवाड़ा(म.प्र.)
7. लक्ष्मी पति रिंदू, उम्र 40 वर्ष,
निवासी उम्मेर झोड़, तहसील जुन्नारदेव,
जिला छिन्दवाड़ा(म.प्र.)
8. कोयली बेवा सवई, उम्र 90 वर्ष,
निवासी घाटावाड़ी कला, पो. बोरदेही,
तहसील आमला, जिला बैतूल(म.प्र.)
9. देवीराम पिता भस्कू, उम्र 24 वर्ष,
10. आशा पिता भस्कू, उम्र 22 वर्ष
11. संगीता पिता भस्कू, उम्र 20 वर्ष
12. रेखा पिता भस्कू, उम्र 18 वर्ष

- क्र. 9 से 12 निवासी टीकाबरी, पो. बोरदेही,
तहसील आमला जिला बैतूल(म.प्र.)
13. कलंग पिता गोपी, उम्र 60 वर्ष
निवासी घाटावाडीकला, पो. बोरदेही,
तहसील मुलताई जिला बैतूल(म.प्र.)
14. बिज्जो पिता हिरेसा, उम्र 40 वर्ष
निवासी बांसखापा, पो. बोरदेही,
तहसील आमला जिला बैतूल(म.प्र.)
15. वैलो पति विक्की, उम्र 40 वर्ष
निवासी सुरनादेही, पो. नवेगांव,
तहसील जुन्नारदेव जिला छिन्दवाड़ा(म.प्र.)
16. मंती पिता घुमस, उम्र 50 वर्ष
निवासी कोरपानीकला, पो. नवेगांव,
तहसील जुन्नारदेव जिला छिन्दवाड़ा(म.प्र.)
17. हसली पिता गोपी, उम्र 40 वर्ष
निवासी टीकाबरी, पो. बोरदेही,
तहसील आमला जिला बैतूल (म.प्र.)
18. मध्यप्रदेश राज्य, द्वारा कलेक्टर
जिला बैतूल (म.प्र.)

.....प्रतिवादीगण

—: (निर्णय) :—

(आज दिनांक 29.11.2016 को घोषित)

1 वादी द्वारा यह दावा खसरा नंबर 16 रकबा 1.954 हे. तथा खसरा नं. 167 रकबा 0.506 हे. स्थित ग्राम घाटावाडीकला तहसील आमला जिला बैतूल की स्वत्व घोषणा एवं पृथक आधिपत्य तथा उपर्युक्त भूमि पर प्रतिवादीगण के नाम निरस्त किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। उपर्युक्त भूमि आगे विवादि भूमि से संबोधित की जाएगी।

2 वादी द्वारा प्रस्तुत दावे का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि विवादित भूमि वादी की पैतृक संपत्ति है जो कि उसे पूर्वजों से प्राप्त हुई थी। वादी विवादित भूमि पर अपने पिता बीरज एवं माता रैना की मृत्यु उपरांत बतौर स्वामी काबिज है। परंतु विवादित भूमि पर वादी के साथ प्रतिवादी सवाई का नाम दर्ज है। जबकि सवाई का विवादित भूमि पर ना ही स्वत्व है और ना ही कभी उसका कब्जा रहा है। वर्ष 2013-14 में जब वादी के द्वारा विवादित भूमि से संबंधित दस्तावेज निकलवाए गए, तब उसे यह जानकारी हुई कि विवादित भूमि पर प्रतिवादीगण का नाम दर्ज हो चुका है तथा विवादित भूमि को अन्य भूमि खसरा नं 14 रकबा 1.692 हे. खसरा नं 274 रकबा 3.986 हे. में शामिल कर दिया गया है। साथ ही विवादित

खसरा नं 16 को 16/3 रकबा 0.724 हे. तथा खसरा नं 16/1 रकबा 0.110 कर दिया गया है। प्रतिवादीगण उक्त अवैध नामांतरण के आधार पर विवादित भूमि का विक्रय करना चाहते हैं। अतः वादी के द्वारा विवादित भूमियां जो कि अन्य भूमियों के साथ राजस्व अभिलेखों में दर्ज हो गयी है, का पृथक बंटवारा, पृथक आधिपत्य एवं स्वत्व की घोषणा तथा विवादित भूमियों पर से प्रतिवादीगण का नाम निरस्त किये जाने की सहायता चाही गयी है।

3 प्रकरण में प्रतिवादीगण पर सूचना की तामिली उपरांत भी उनके अनुपस्थित रहने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

4 प्रकरण के न्यायपूर्ण निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न है :-

1. क्या वादी विवादित भूमि ख.नं. 16 रकबा 1.954 हे. एवं ख.नं. 167 रकबा 0.506 हे. स्थित ग्राम बोरदेही तहसील आमला जिला बैतूल की स्वत्वाधिकारी है ?
2. क्या विवादित भूमि अन्य ख.नं. 14 रकबा 1.692, ख.नं. 274 रकबा 3.986 के साथ दर्ज हो गयी है ?
3. क्या वादी उपर्युक्त विवादित भूमि का प्रतिवादीगण से पृथक बंटवारा कराकर पृथक आधिपत्य प्राप्त करने की अधिकारी है ?
4. क्या वादी उपर्युक्त विवादित भूमि पर दर्ज अन्य प्रतिवादीगण का नाम निरस्त कराये जाने की अधिकारी है ?
5. सहायता एवं व्यय ?

विवेचना एवं सकारण निष्कर्ष

विचारणीय प्रश्न क. 1 का निराकरण

5 सर्वप्रथम प्रकरण में यह देखा जाना है कि क्या विवादित भूमि ख.नं. 16 एवं 167 वादी की पैतृक भूमि है। वादी के द्वारा विवादित भूमि पूर्वजों से प्राप्त होने का अभिवचन किया गया है तथा अपने पिता बिरज की मृत्यु उपरांत उनकी एकमात्र संतान होने के नाते विवादित भूमि की एकमात्र स्वत्वाधिकारी होने का अभिवचन किया गया है। वादी द्वारा विवादित भूमि के संबंध में दस्तावेज भू-अधिकार ऋण पुस्तिका (प्रदर्श प्री-1) प्रस्तुत की गयी है तथा विवादित भूमि ख. नं. 16 के संबंध में दस्तावेज (प्रदर्श प्री-2), किश्तबंदी खतौनी वर्ष 2013-14, खसरा (प्रदर्श प्री-3) वर्ष 2013-14, नक्शा (प्रदर्श प्री-4), खसरा (प्रदर्श प्री-5) वर्ष 2014-15, किश्तबंदी (प्रदर्श प्री-6) वर्ष 2014-15 प्रस्तुत किया गया है जिसमें से

प्रदर्श पी-2 एवं 3 खसरा नंबर 16/1 से संबंधित है तथा प्रदर्श पी-5 एवं प्रदर्श पी-6 खसरा नंबर 16/3 से संबंधित है। दस्तावेज (प्रदर्श प्री-1) के अवलोकन से ख.नं. 16 तथा ख.नं. 167 वादी इनौती एवं सवाई के नाम पर दर्ज होना प्रकट हो रहा है। उक्त दस्तावेज के अवलोकन से यह भी प्रकट हो रहा है कि दिनांक 23.10.80 को इनौती बेवा बिसनू को ठीक करके इनौती वल्द बिरज किया गया है तथा दस्तावेज प्रदर्श प्री-2, प्रदर्श प्री-3 के अवलोकन से ख.नं. 16/1 रकबा 0.110 हे. प्रतिवादीगण के साथ वादी इनौती के नाम पर दर्ज होना प्रकट हो रहा है परंतु उक्त दस्तावेज में वादी इनौती के नाम के आगे पिता विन्नू लेख है। जबकि दस्तावेज प्रदर्श प्री-5 एवं प्रदर्श पी-6 पर वादी का नाम लेख नहीं है, मात्र प्रतिवादी क्र. 1 से 4 का नाम लेख है।

6 वादी द्वारा विवादित भूमि ख.नं. 16 एवं 167 पैतृक होने का अभिवचन किया गया है परंतु वादी के द्वारा ऐसे कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किये गये हैं जिससे कि यह प्रकट हो कि विवादित भूमि वादी को अपने पिता, दादा या पूर्वजों से प्राप्त हुई हो। यद्यपि दस्तावेज (प्रदर्श प्री-1) जो कि विवादित भूमि के संबंध में भू-अधिकार पुस्तिका है उस पर वादी का नाम सवाई के साथ लेख है परंतु मात्र उक्त दस्तावेज पर वादी का नाम लेख होने से ही विवादित भूमि उसके स्वत्व की होना उपधारित नहीं की जा सकती। वादी को विवादित भूमियों पर अपने स्वत्व के संबंध में स्वत्व का स्रोत बताया जाना था कि उसे यह भूमि किस प्रकार प्राप्त हुई, कहां से प्राप्त हुई जो कि वादी के द्वारा नहीं किया गया है। साथ ही वादी के द्वारा विवादित भूमि ख.नं. 167 के संबंध में दस्तावेज (प्रदर्श प्री-6) प्रस्तुत किया गया है जिस पर उसका नाम ही दर्ज नहीं है। इस संबंध में वादी का यह अभिवचन है कि विवादित भूमि ख.नं. 16 एवं 167 अन्य भूमियों के साथ शामिल कर दी गयी हैं। यदि तर्क के लिए यह मान भी लिया जाये कि विवादित भूमियां अन्य भूमियों के साथ शामिल कर दी गयी हैं तब भी वादी को विवादित भूमियों पर अपने स्वत्व को बताया जाना आवश्यक है। अभिलेख पर ऐसे कोई भी दस्तावेज नहीं है जिससे यह प्रकट हो कि विवादित भूमि वादी के पिता बिरज या उसके दादा मन्नू या भोंदल के नाम पर दर्ज हो। तब ऐसी स्थिति में यह प्रमाणित नहीं माना जा सकता कि वादी विवादित भूमियों की स्वत्वाधिकारी है।

विचारणीय प्रश्न क्र. 02, 03 एवं 04 का निराकरण

7 वादी द्वारा दस्तावेज प्रदर्श प्री-2 एवं प्रदर्श पी-3 जो कि ख.नं. 16/1 के किस्तबंदी एवं खसरा है जिस पर वादी का नाम अन्य प्रतिवादीगण के साथ दर्ज होना प्रकट हो रहा है परंतु साथ ही वादी इनौती के नाम के आगे पिता विन्नू लेख है। जबकि वादी के पिता का नाम बिरज है। इस संबंध में कोई भी स्पष्टीकरण वादी की ओर से अपने मौखिक या दस्तावेज साक्ष्य के माध्यम से नहीं दिया गया है। साथ ही अभिलेख पर ऐसी कोई भी मौखिक या दस्तावेज साक्ष्य नहीं है जिससे यह प्रकट हो कि विवादित भूमि ख.नं. 16 एवं 167 पर वादी का

आधिपत्य है। अतः यह प्रमाणित नहीं माना जा सकता कि विवादित भूमि पर वादी का आधिपत्य है। वादी का यह अभिवचन है कि विवादित भूमियां अन्य भूमियों के साथ दर्ज कर दी गयी है परंतु ख.नं. 167 के संबंध में ऐसा कोई दस्तावेज वादी के द्वारा पेश नहीं किया गया है जिससे यह प्रकट हो कि वादी का उस पर आधिपत्य हो। चूंकि विवादित भूमि पर न तो वादी का स्वत्व प्रमाणित है और न ही उसका आधिपत्य प्रमाणित है, तब ऐसी स्थिति में विवादित भूमियों के संबंध में वह किसी भी तरह के अनुतोष पाने की अधिकारी नहीं है। अतः वादी को विवादित भूमि के संबंध में बंटवारा कराकर पृथक आधिपत्य दिलाये जाने एवं विवादित भूमि ख.नं. 16 एवं 167 पर अन्य प्रतिवादीगण का नाम निरस्त कराये जाने का अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है।

विचारणीय प्रश्न क. 05 का निराकरण

8 उपर्युक्तानुसार की गई साक्ष्य विवेचना से वादी यह प्रमाणित करने में असफल रही है कि वह विवादित भूमि ख.नं. 16 रकबा 1.954 हे. एवं ख.नं. 167 रकबा 0.506 हे. स्थित ग्राम बोरदेही तहसील आमला जिला बैतूल की स्वत्वाधिकारी है एवं विवादित भूमि अन्य ख.नं. 14 रकबा 1.692, ख.नं. 274 रकबा 3.986 के साथ दर्ज हो गयी है। अतः वादी विवादित भूमि का प्रतिवादीगण से पृथक बंटवारा कराकर पृथक आधिपत्य प्राप्त करने तथा विवादित भूमि पर दर्ज अन्य प्रतिवादीगण का नाम निरस्त कराये जाने की अधिकारी नहीं है। फलतः वादी का दावा निरस्त किया जाता है तथा निम्न आशय का आदेश पारित किया जाता है :-

1. वादी का दावा निरस्त किया जाता है।
2. वादी अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेगा।
3. अधिवक्ता शुल्क म.प्र. सिविल कोर्ट नियम एवं आदेश 179 सहपठित नियम 523 के निर्धारित होता है अथवा जो प्रमाणित हो या न्यून हो, खर्च में जोड़ा जावे।

तदनुसार आज्ञापित तैयार की जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2,
आमला, जिला बैतूल

(श्रीमती मीना शाह)
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2,
आमला, जिला बैतूल